



कार्यालय जिला परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, कानपुर देहात

मिकट बी०ए०एन०एल श्वाफि०, श्कब०पुर माती रोड कानपुर देहात-209101

पार्ट टाईम शिक्षिका, एवं लेखाकार (महिला) पद हेतु नियम व शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1- पार्ट टाईम शिक्षिका हेतु चयन वर्ष 01 जुलाई, 2017 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करे।
- 2- लेखाकार पद हेतु चयन वर्ष 01 जुलाई, 2017 से न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करे।
- 3- पार्ट टाईम शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता उ०प्रा०वि० स्तर की टी०ई०टी सम्बन्धित विषय सहित प्रशिक्षण स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०आई०ई०आर०टी० से मान्य बी०एड० तथा उसके समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- 4- लेखाकार के लिये शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण स्नातक वाणिज्य तथा एम०एस०आफिस कार्य का ज्ञान अनिवार्य, डी०ओ०ई०ए०सी०सी०या समकक्ष संस्था से ओ लेवल के कम्प्यूटर में डिप्लोमा की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- 5- समस्त शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां अवश्य संलग्न करे। यदि सत्यापन में अभिलेख फर्जी पाये जाते हैं तो विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 6- लिफाफे के उपर पद का नाम एवं विषय अवश्य लिखे।
- 7- त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, ओवर राइटिंग(अपलेखन) वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 8- किसी भी सेवा में बर्खास्त नैतिक, चारित्रिक अधमता के अपराध के लिये दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के पात्र नहीं होंगे। उक्त पदों पर चयन सीधा मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
- 9- सम्पूर्ण कार्यवाही जनपदीय चयन समिति के निर्णय के अधीन होगी एवं चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1- आवेदित पद का नाम-
- 2- अभ्यर्थी का नाम-
- 3- पिता/पति का नाम-
- 4- जन्म तिथि-
- 5- जाति-
- 6- स्थायी पता-
- 7- मो0 नं0-
- 8- पत्र व्यवहार का पता-
- 9- शैक्षिक योग्यता (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें)

फोटो

क्रम	परीक्षा का नाम	परीक्षा संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत	अन्य
1	हाईस्कूल				
2	इण्टरमीडिएट				
3	स्नातक				
4	बी0एड0/एल0टी				
5	टी0ई0टी0				
6	अन्य				

- 9- अनुभव-
- 10- अन्य विवरण-

मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित उपरोक्त विवरण सत्य है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई विवरण/तथ्य असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है या संज्ञानित होने पर मेरा चयन/अनुबन्ध संविदा पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाती है तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही असन्तोषजनक पाये जाने पर संविदा के चयन/अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाता है तो इस सम्बन्ध में किसी माननीय न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं करूंगी/करुंगा।

स्थान-
दिनांक-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर